पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 37 / 2025

अनवान :

धीरज पुत्र विनोद कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरोज पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1.विनोद कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.संजू पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3.निशा पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़ :–वादी
2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा :–प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 31/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेशगौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 विनोद कुमार के नाम से चकनं0 11 एजी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 68/66 में कुल 1.0390 है0 कमाण्ड आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन कर चक नं0 11 एजी के खाता सं0 68/66 मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner